

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 75/2018

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, सिरौही

बनाम

अप्रार्थी
1- ग्रामदानी अध्यक्ष वाडेली
2- ग्रामदानी सचिव वाडेली
मय ग्रामदानी सभा

उपस्थित :-

- 1- प्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरौही.
- 2- श्री भीमाराम चौधरी (कलबी) अध्यक्ष ग्रामदानी सभा वाडेली

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने

निर्णय

दिनांक 20-7-2018

प्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरौही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध ग्रामदानी अध्यक्ष/सचिव ग्रामदानी सभा वाडेली तहसील व जिला सिरौही बाबत राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने का इस न्यायालय में दिनांक 10-7-2018 को पेश किया जिसका संक्षेप में तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र सिरौही के पटवार मण्डल कृष्णगंज का राजस्व ग्राम वाडेली राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त 1971) के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित किया हुआ है। इस अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम के समस्त राजस्व कार्य, यथा नामान्तकरण दायर, व फैसल, भूमि आवंटन, पंजीयन, विक्रय, उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन इत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। राजस्व विभाग द्वारा मात्र गिरदावरी की जाती है। वर्णित ग्राम वाडेली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार जमाबंदी चौसाला में निम्न प्रकार खाते दर्ज हैं :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	खातेदारो का विवरण	वि.वि.
1-	1	राजकीय	
2-	2 से 314	निजी खातेदारी भूमि	
3-	315	गोचर भूमि ग्राम	
4-	316	वन विभाग	
5-	317	शिक्षा विभाग	

उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 2 से 314 तक के खाते "अध्यक्ष, ग्रामदानी वाडेली" के नाम दर्ज होने चाहिये जबकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त खाते निजी खातेदारों के नाम पृथक पृथक दर्ज हैं। अधिनियम के तहत सभा खातों में मात्र अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली के नाम दर्ज होने चाहिये, ताकि लगान वसूली का खाता (ढालबांछ) सियाहा (केशबुक) व वसूली रसीद ग्रामदानी अध्यक्ष के नाम अंकित हो सकें। तथा राज्य सरकार द्वारा DILRMP प्रोग्राम अनुसार तहसील सिरौही (मॉडल तहसील) घोषित है। जिसमें सेग्रीगेशन कार्य चालू है। इसलिये ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। उक्त शुद्धिकरण कार्य

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही (राज.)

Cont. Page No 2

सेग्रीगेशन कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक है। उक्त राजस्व ग्राम मे निजी खातेदारों के खाता संख्या 2 से 314 तक मे एक खाता ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष के नाम दर्ज करने की शुद्धि किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकारी व क्षेत्राधिकार का मामला होने से पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न ग्राम वाडेली के राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी संवत 2067 से 2070 प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दिनांक 10-7-2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17-7-2018 को दौराने सुनवाई श्री भीमाराम चौधरी, अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली ने हाजिर होकर न्यायालय मे अपने ब्यान कलमबद्ध कराये जिन्हे शा.मि. किया गया।

अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली ने अपने उक्त ब्यान मे कथन किया कि ग्राम तेलपीखेडा राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 द्वारा ग्रामदानी गांव घोषित हुआ है एवं इस अधिनियम के अर्न्तगत समस्त राजस्व कार्य तथा नामान्तकरण दायर व फैसल, भूमि आवंटन पंजियन, विक्रय उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन, स्वेच्छिक बंटवाडा इत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। ग्राम वाडेली की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार चौसाला मे कॉलम संख्या 3 जिसमे राजस्थान सरकार दर्ज होता है उसके स्थान अध्यक्ष ग्रामसभा वाडेली के नाम इन्द्राज होना चाहिये। अधिनियम के तहत सभी खाते खातेदार व गैरखातेदार जमाबंदी कृषकों के नाम पृथक पृथक दर्ज है जो सही है। चूंकि उक्त ग्रामदान गांव के किसानो को सरकारी बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड व कृषि उपकरण खरीदने हेतु योजनार्न्तगत अनुदान वगैरा उपलब्ध होते है व कृषि भूमि को सुधारने हेतु सरकारी योजनाएं, तारबंदी, मेडबंदी, खाद बीज उर्वरक आदि उपलब्ध होते है। उक्त तमाम खाते अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा के नाम एक होना न्यायोचित नही है। गिरदावरी खरीफ, रबी, जायद राजस्व विभाग द्वारा की जाती है एवं ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली की विगोटी मांग स्थाई, व अस्थायी सम्मिलत होकर पूरा गांव का राजस्व विगोटी एक मुश्त राजस्व विभाग को तहसील स्तर पर पटवारी हल्का द्वारा चालान भरकर टी.आर.ए. से सत्यापित कर बैंक मे जमा कराया जाता है। हमारे यहाँ ढालबांछ रजिस्टर विगोटी प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है व सियाहा का इन्द्राज जरिये रसीद बुक के मेण्टेन किया जाता है। ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष ग्रामदानी के नाम एक मुश्त खाता शुद्धिकरण किया जाना नामुमकिन है व कृषकों के हित को देखते हुये अलग अलग जमाबंदी मे खाते सही है।

विचाराधीन प्रकरण मे दौराने सुनवाई प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही व अप्रार्थी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली द्वारा अंतिम बहस करने का निवेदन करने से न्यायहित मे अंतिम बहस सुनी गई।

प्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपनी बहस मे उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये निवेदन किया कि तहसील क्षेत्र सिरोही के पटवार मण्डल वाडेली का राजस्व ग्राम वाडेली राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त 1971) के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित किया हुआ है। इस अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम के समस्त राजस्व कार्य, यथा नामान्तकरण दायर, व फैसल, भूमि आवंटन, पंजीयन, विक्रय, उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन इत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। राजस्व विभाग द्वारा मात्र गिरदावरी की जाती है। वर्णित ग्राम वाडेली की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार जमाबंदी चौसाला मे निम्न प्रकार खाते दर्ज है :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	खातेदारो का विवरण	वि.वि.
1-	1	राजकीय	

नेण्ड रिकॉर्ड आफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Cont Page No 3

2-	2 से 314	निजी खातेदारी भूमि
3-	315	गोचर भूमि ग्राम
4-	316	वन विभाग
5-	317	शिक्षा विभाग



उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 2 से 314 तक के खाते" अध्यक्ष, ग्रामदानी वाडेली " के नाम दर्ज होने चाहिये जबकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त खाते निजी खातेदारों के नाम पृथक पृथक दर्ज है। अधिनियम के तहत सभी खाता में मात्र अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली के नाम दर्ज होने चाहिये, ताकि लगान वसूली का खाता (ढालबांछ) सियाहा (केशबुक) व वसूली रसीद ग्रामदानी अध्यक्ष के नाम अंकित हो सकें। तथा राज्य सरकार द्वारा DILRMP प्रोग्राम अनुसार तहसील सिरोही (मॉडल तहसील) घोषित है। जिसमें सेग्रीगेशन कार्य चालू है। इसलिये ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्ध किया जाना अपेक्षित है। उक्त शुद्धिकरण कार्य सेग्रीगेशन कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक है। उक्त राजस्व ग्राम में निजी खातेदारों के खाता संख्या 2 से 314 तक में एक खाता ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष के नाम दर्ज करने की शुद्धि किये जाने का निवेदन है।

अप्रार्थी सचिव ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली ने अपनी बहस में अपने उक्त ब्यान के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया कि ग्राम वाडेली राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 द्वारा ग्रामदानी गांव घोषित हुआ है एवं इस अधिनियम के अर्न्तगत समस्त राजस्व कार्य तथा नामान्तरण दायर व फैसल, भूमि आवंटन पंजियन विक्रय उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन, स्वेच्छिक बंटवाडा ईत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। ग्राम वाडेली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार चौसाला में कॉलम संख्या 3 जिसमें राजस्थान सरकार दर्ज होता है उसके स्थान अध्यक्ष ग्रामसभा वाडेली के नाम इन्द्राज होना चाहिये। अधिनियम के तहत सभी खाते खातेदार व गैरखातेदार जमाबंदी कृषकों के नाम पृथक पृथक दर्ज है जो सही है। चूंकि उक्त ग्रामदान गांव के किसानों को सरकारी बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड व कृषि उपकरण खरीदने हेतु योजनान्तर्गत अनुदान वगैरा उपलब्ध होते हैं व कृषि भूमि को सुधारने हेतु सरकारी योजनाएं, तारबंदी, मेडबंदी, खाद बीज उर्वरक आदि उपलब्ध होते हैं। उक्त तमाम खाते अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा के नाम एक होना न्यायोचित नहीं है। गिरदावरी खरीफ, रबी, जायद राजस्व विभाग द्वारा की जाती है एवं ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली की विगोटी मांग स्थाई, व अस्थायी सम्मिलित होकर पूरा गांव का राजस्व विगोटी एक मुश्त राजस्व विभाग को तहसील स्तर पर पटवारी हल्का द्वारा चालान भरकर टी. आर.ए. से सत्यापित कर बैंक में जमा कराया जाता है। हमारे यहाँ ढालबांछ रजिस्टर विगोटी प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है व सियाहा का इन्द्राज जरिये रसीद बुक के मेण्टेन किया जाता है। ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष ग्रामदानी के नाम एक मुश्त खाता शुद्धिकरण किया जाना नामुमकिन है व कृषकों के हित को देखते हुये अलग अलग जमाबंदी में खाते सही है।

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट मय ग्रामदानी ग्राम वाडेली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 तक तथा अप्रार्थी सचिव ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली के ब्यान का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा प्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही व अप्रार्थी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली की अंतिम बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक स्थिति यह है कि तहसील क्षेत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज के राजस्व ग्राम वाडेली राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 जो महामहिन राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार की अनुमति दिनांक 3-8-1971 के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित है जिसके अनुसार समस्त राजस्व कार्य, नामान्तरण, भूमि आवंटन विक्रय, उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन सहित पंजीयन कार्य भी ग्रामदानी अध्यक्ष

लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपबण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Cont. Page No 4

द्वारा किया जाता है राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी खरीफ, रबी, जायद की जाती है। काश्तकारों से लगान वसूली आदि भी ग्रामदानी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राजस्व विभाग में उक्त भू राजस्व लगान, आदि एक चालान से जरिये राशि राजकोष में जमा करवाई जाती है। ग्रामदान ग्रामसभा वाडेली की जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार खाता नंबर 2 से 317 तक बने हैं जिसमें खाता संख्या 2 से 314 तक निजी खातेदारी भूमि अलग अलग खाते दर्शाये हुये हैं। जो कि उक्त ग्रामदानी के जमाबंदी में अलग अलग होने चाहिये। राजस्व विभाग की जमाबंदी में अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली के नाम का खाता होना चाहिये था। चूंकि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा ही पंजियन किया जाकर बंटवाडा विक्रय रहन बक्षीस आदि का रेकर्ड में अमल दरामद रेकर्ड की जांच करना तथा उनको निर्णित करना आदि राजस्व अधिकारियों की शक्तियाँ भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली में निहित है कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत भूमि आवंटन की शक्तियाँ जो उपखण्ड अधिकारी में निहित होती है उसका उपयोग भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा किया जाता है भूमि का हक त्याग सर्म्पण धारा 55 आर.टी.एक्ट की शक्तियाँ भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली को है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार तथा ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्ध किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है इसमें ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली को किसी प्रकार की राजस्व हानि भी नहीं है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी बाबत राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि तहसील क्षेत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज के राजस्व ग्राम वाडेली के जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 तक में दर्ज खाता संख्या 2 से 314 तक निजी खातेदारी भूमि के स्थान पर ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष, ग्रामदानी ग्रामसभा वाडेली के नाम दर्ज कर जमाबंदी की शुद्धि की जायें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

27/2/18
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20-7-2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।



27/2/18
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)